भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1552**

(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत ट्रेड नेट

1552. **श्रीमती पूनमबेन माडम:**
श्री विष्णु दयाल राम:
श्री मितेश पटेल बकाभाई:
श्री राहुल सिंह लोधी:
श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेषकर भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र के डिजिटलीकरण और एकीकरण के संबंध में भारत ट्रेड नेट के उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ख) सीमा शुल्क, लॉजिस्टिक प्रदाताओं, बैंकों और अन्य व्यापार सुविधा एजेंसियों के साथ इस प्लेटफॉर्म के एकीकरण की स्थिति क्या है;
(ग) क्या सरकार का चरणबद्ध कार्यान्वयन रोडमैप के साथ इस प्लेटफॉर्म के क्षेत्रीय और भौगोलिक प्रसार का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) भारत ट्रेड नेट के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और भागीदार एजेंसियों की हिस्सेदारी के ब्यौरे सहित योजनाबद्ध निवेश कितना है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ)

केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित भारत ट्रेड नेट (बीटीएन) को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में उल्लिखित किया गया है, जिसका उद्देश्य व्यापारिक दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करना, व्यापार से संबंधित आंकड़ों के अंतर-संचालित आदान-प्रदान को सक्षम करना और संपूर्ण भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक ईकोसिस्टम में सेवाओं के कुशल वितरण को समर्थन प्रदान करना है।

इस पहल का उद्देश्य सामान्य मानकों, डिजिटल इंटरफेस और विश्वसनीय रूपरेखा की स्थापना करना भी है, जिससे पहचान प्रबंधन और विश्वसनीय सेवाओं के माध्यम से

इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक दस्तावेजों के सुरक्षित आदान-प्रदान और उनकी सीमा पार मान्यता को सुगम बनाया जा सके।

बीटीएन सीमा शुल्क प्राधिकारियों, बैंकों, संभारतंत्र सेवा प्रदाताओं और अन्य व्यापार सुविधा एजेंसियों सहित अंतरराष्ट्रीय व्यापार ईकोसिस्टम में हितधारकों के बीच अंतरसंचालनीयता एवं डिजिटल संवाद का समर्थन करेगा और उनकी मौजूदा डिजिटल प्रणालियों और अवसंरचना का लाभ उठाएगा।

व्यापार दस्तावेज़ीकरण और वित्तीय समाधानों को एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समेकित करके और प्रमुख हितधारकों को परस्पर जोड़कर बीटीएन कागज़-आधारित प्रक्रियाओं को समाप्त करेगा, पुनरावृत्ति और अनुपालन संबंधी विलंब को कम करेगा, और निर्यातकों और आयातकों के लिए एकल-खिड़की निकासी सुविधा उपलब्ध कराएगा। इससे लेनदेन और संभारतंत्र लागत कम होने, व्यापार वित्त में लगने वाले समय में कमी होने एवं परिणामस्वरूप भारतीय वस्तुओं की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने की उम्मीद है।

विशेष रूप से एमएसएमई के लिए, भारत ट्रेड नेट की मानकीकृत और पारदर्शी डेटा अवसंरचना वित्तीय संस्थानों को जोखिम का अधिक सटीक आकलन करने तथा समय पर संबंधित व्यापार वित्त उपलब्ध कराने में मदद करेगी, जिससे छोटे निर्यातकों के लिए ऋण तक पहुंच बेहतर होगी।

एक क्षैतिज डिजिटल अवंसरचना के रूप में, भारत ट्रेड नेट की परिकल्पना किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा भौगोलिक सीमा तक सीमित नही है और इसका उद्देश्य व्यापारिक ईकोसिस्टम के सभी क्षेत्रों और हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करना है।

भारतट्रेडनेट के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार और अन्य भाग लेने वाली संस्थाओं के योगदान सहित संस्थागत रूपरेखा और वित्तीय परिव्यय की जांच की जा रही है और इसे निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया का विधिवत पालन करते हुए इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।
